क्र न 15/20 श्री लाल बनाम मौजा पेटा

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4-12-2020	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य~~ चुनाव कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8-1-2021 को पेश हो। रीडर
8-1-2021	वकील प्रार्थी उप० । प्रा०पत्र 136 L.R. Act पर बहस सुनी गई । प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है । विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर	तारीख पेशी	तारीख रजू
15/2020	29.9.2020	8.1.2021

श्रीलाल पुत्र किशनलाल, माली निवासी छाबा तह0 गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी श्रीलाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 142 ख0न0 10 रकबा 0.08 है0, ख0न0 3 रकबा 0.08 है0, ख0न0 4 रकबा 0.11 है0, ख0न0 5 रकबा 0.10 है0, ख0न0 8 रकबा 0.02 है0, ख0न0 9 रकबा 0.14 है0, ख0न0 9/864 रकबा 0.10 है0 ख0न0 9/865 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम छाबा मे प्रार्थी का नाम गलत रूप से किलाण पुत्र किशनलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र किशनलाल है। इसी प्रकार वर्तमान जमांबदी खाता संख्या 7 के ख0न0 318 रकबा 0.71 है0, 320 रकबा 0.42 है0, 321 रकबा 0.35 है0, 322 रकबा 0.09 है, 323 रकबा 0.17 है0 वाके ग्राम छावा में प्रार्थी का नाम गलत रूप से किलाण पुत्र किशनलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र किशनलाल है। इसी प्रकार जमाबंदी खाता संख्या 233 के ख0न0 248 रकबा 4.16 है0 वाके ग्राम छावा में प्रार्थी का नाम गलत रूप से श्रीया पुत्र किशनलाल दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र किशनलाल है। इस प्रकार उपरोक्त तीनो खातों खाता संख्या 142, खाता संख्या 7 में प्रार्थी का नाम गलत रूप से लिपिकीय भूल एवं टाईपिंग की गलती के कारण किलाण पुत्र किशनलाल दर्ज हो गया है। इस प्रकार उपरोक्त खातों मे प्रार्थी का नाम गलत दर्ज हो गया है। जिसकी न्यायहित मे दुरुस्ती होना आवश्यक है। प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र किशनलाल है जो अन्य सम्पूर्ण सरकारी कागजात राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधारकार्ड, बैंक पासबुक, जनआधार कार्ड मे सही अंकित है। किलाण पुत्र किशनलाल, श्रीया पुत्र किशनलाल व श्रीलाल पुत्र किशनलाल एक ही व्यक्ति के नाम है। प्रार्थी का घर का बोलता नाम किलाण है तथा प्रार्थी को जो नाम श्रीया दर्ज किया गया है वह प्रार्थी का ही अपभ्रंश नाम है। प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र किशनलाल है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 142 खसरा नम्बर 10 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 3 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 4 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 5 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 8 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 9 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 9/864 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 9/865 रकबा 0.05 है0 ग्राम छावा, जमाबंदी खाता सं0 7 के ख0नं0 318 रकबा 0.71 है0, ख0नं0 320 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 321 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 322 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 323 रकबा 0.17 है0 ग्राम छावा में अंकित किलाण पुत्र किशनलाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीलाल पुत्र किशनलाल दर्ज किया जावे एवं जमाबंदी खाता संख्या 233 के ख0नं0 248 रकबा 4.16 है0 ग्राम छावा में अंकित श्रीया पुत्र किशनलाल को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर श्रीलाल पुत्र किशनलाल दर्ज किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में संशोधन करने के आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिए जावें।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 खाता संख्या 142, खाता संख्या 7, खाता संख्या 233 ग्राम छावा, फोटोकोपी बैंक पासबुक, फोटोकोपी राशनकार्ड, फोटोकोपी मतदाता पहचान पत्र, फोटोकोपी आधार कार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत छावा दिनांक 4.9.2020 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि श्रीलाल पुत्र किशनलाल माली को बचपन में किलाण कहते थे। किलाण पुत्र किशनलाल माली ही श्रीलाल पुत्र किशनलाल है।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थना पत्र में दर्ज विवरण के अनुसार सही नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा के खाता संख्या 142, 7 में प्रार्थी का नाम किलाण पुत्र किशनलाल दर्ज है। खाता संख्या 233 में प्रार्थी का नाम श्रीया पुत्र किशनलाल दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल पुत्र किशनलाल है। अन्य दस्तावेजो में भी प्रार्थी का सही नाम श्रीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested

...ा कलेक्टर
...टी (स0मा0)

पुत्र किशनलाल दर्ज है। प्रार्थी जमाबंदी में दर्ज उसके गलत नाम के स्थानपर उसका सही नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2071 से 2074 ग्राम छावा के खाता संख्या 142, खाता संख्या 7 में दर्ज नाम किलाण पुत्र किशनलाल, खाता संख्या 233 में दर्ज नाम श्रीया पुत्र किशनलाल के स्थान पर प्रविष्टि श्रीलाल पुत्र किशनलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:31:23 IST
Reason: SelfAttested